महत्वपूर्ण एवं खास

भीषण गर्मी के कारण स्कूल संचालन समय में हुआ परिवर्तन

सुबह 7.30 से 11.30 बजे तक होंगी कक्षाएं संचालित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 को 14 मई 2022 तक बढ़ाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो इसके लिए जिला रायगढ़ के समस्त शासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। जिसके तहत एक पाली में समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूल सोमवार से शनिवार तक प्रात: 7.30 से 11.30 बजे तक संचालित होगी। ऐसी शालाएं जहां कक्षाएं दो पालियों में संचालित होती है वहां प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाएं प्रात: 7.30 बजे से पूर्वान्ह 11.30 बजे तक एवं हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूल पूर्वान्ह 11.30 से अपरान्ह 4.30 बजे तक संचालित होंगी। साथ ही सभी स्थानीय परीक्षाएं कक्षा पहली से आठवीं तक पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार संचालित होंगी।

मिडिल स्कूल डोंगीतराई में 8वीं के विद्यार्थियों को दी गई विदाई

रायगढ़। / हर वर्ष की भांति कक्षा 6वीं व 7वीं के नन्हे विद्यार्थियों के द्वारा 8वीं के सीनियर को विदाई देकर आगामी परीक्षा में सफलता के साथ नई संस्था में आगामी वर्ष में प्रवेश हेतु एक सम्मान सह शुभकामनाएं देने हेतु विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी इस परंपरा को बनाए रखते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय डोंगीतराई के नन्हे विद्यार्थियों ने गुरुजनों से अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजन किया। माध्यमिक शाला का उक्त कार्यक्रम का आयोजन हायर सेकेंडरी परिसर में किया गया। उक्त कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने प्रा.शा., मा.शा. एवं शा.उ.मा.वि. डोंगीतराई के समस्त गुरुजनों को आमंत्रित किया। माँ शारदे का पूजन हायर सेकेंडरी की सभी शिक्षिकाओं द्वारा किया गया। नन्हे विद्यार्थियों ने कक्षा 8वीं के सीनियर्स का स्वागत तिलक लगाकर एवं पेन पुष्प गुच्छ देकर किया। मंच संचालन 7वी कक्षा से कु.हेमलता सिदार एवं संजुलता सिदार ने मिलकर किया।

भांग दुकान के लिए 20 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। जिले के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत भांग की एक फुटकर दुकान हेतु 20 अप्रैल 2022 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, कलेक्टोरेट रायगढ़ में आवेदन आमंत्रित किए गए है। प्राप्त आवेदनों को लाटरी के माध्यम से 21 अप्रैल 2022 को अनुज्ञापी का चयन किया जाएगा। भांग फुटकर दुकान की अवधि वर्ष 2022-23 अर्थात दिनांक 1 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक कुल 11 माह की होगी। इच्छुक आवेदक नियम एवं शर्तो की जानकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, कलेक्टोरेट रायगढ़ में कक्ष क्रमांक 66 में संपर्क कर सकते है अथवा विभाग की वेबसाईट www.excise.cg.nic.in पर अवलोकन कर सकते है।

जिले के 22 पंचायत हुए शत-प्रतिशत कुपोषण मुक्त

- निगम क्षेत्र के 48 वार्डो में कुपोषण दर 10 प्रतिशत से नीचे, जिसमें 36 वार्डो की कुपोषण दर 5 प्रतिशत से भी कम
- कलेक्टर भीम सिंह ने ली महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने सृजन सभाकक्ष में महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में कुपोषण मुक्त की दिशा में लगातार कार्य किया गया है। जिसमें लेन्ध्रा, सिसरिंगा, कापू आदि सेक्टरों में कुपोषण मुक्त की दिशा में बेहतर परिणाम देखने को मिले है। इसी तरह अन्य सेक्टरों में भी कार्ययोजना तैयार कर कार्य किया जाए। इसके लिए जो बच्चे कुपोषित है, उनके घर-घर जाए उनके पालकों से मिलकर उनकी काउंसिलिंग करें एवं बच्चों के उचित खानपान के लिए निर्देशित करें। ताकि बच्चों के सेहत में तेजी से ग्रोथ हो सके।

इस दौरान कलेक्टर सिंह ने सेक्टरवार जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यो समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले के 22 पंचायत शत-प्रतिशत कुपोषण मुक्त हो चुके। इसी प्रकार अन्य पंचायतों को कुपोषणमुक्त करने की दिशा में सभी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रयास करें। जिससे जिले को शत-प्रतिशत कुपोषण से मुक्त किया जा सके। विभागीय समीक्षा में कलेक्टर सिंह ने सेक्टरवार कुपोषण दर की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लेन्ध्रा द्वारा कुपोषण दर में कमी लाने के लिए बेहतर कार्य किया गया है। इसी तरह सिसरिंगा, कापू जैसे सेक्टर में अच्छा कार्य किया जा रहा है। जिस पर कलेक्टर सिंह ने कुपोषण दर में किए गए कार्य पर सेक्टर के सुपरवाईजर से उनके कार्यशैली के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। इसी तरह उन्होंने कहा कि जिन सेक्टरों में कुपोषण दर कम है अगले छ माह में 3 प्रतिशत कुपोषण कम करने के लक्ष्य पर कार्य किया जाए। जहां पर कुपोषण दर अधिक है वहां के सुपरवाईजरों को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। ताकि उन सेक्टरों में भी कुपोषण दर में कमी लाया जा सके।

कलेक्टर सिंह ने सेक्टरवार मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों एवं शिशुवती, एनीमिक किशोरी एवं महिलाओं की जानकारी ली। जिस पर विभागीय अधिकारी ने बताया कि नियमित गरम भोजन एवं रेडी टू ईट से प्रदाय किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने एनआरसी की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एनआरसी में उपलब्ध सीटों में बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए, अन्यथा सुपरवाइजर पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ चार्ट बनाया जाए। जिससे बच्चों के ग्रोथ की मॉनिटरिंग संभव हो पाए। साथ ही बच्चों के अभिभावकों को बच्चे के नियमित ग्रोथ की जानकारी दी जाए ताकि बच्चों के उचित देखभाल के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने विटामिन, प्रोटीन की उपलब्धता एवं प्रदाय की जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विटामिन एवं प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है एवं नियमित प्रदाय की जा रही है। कलेक्टर सिह ने पूरक पोषक आहार के रख रखाव, रेडी टू ईट, सुपोषण अभियान का लाभ, रजिस्टर, साफ सफाई जैसे कार्यो के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि गर्भवती माताओं की हिमोग्लोबिन की जांच की जाए एवं जिसका हिमोग्लोबिन 9 ग्राम से कम हो उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनकी सेहत के देखभाल, पूरक एवं पौष्टिक आहार के लिए के लिए डीएमएफ के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे नवजात शिशुओं को कुपोषित होने से बचाया जा सके।

इस दौरान सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी, महिला बाल विकास अधिकारी टी.के.जाटवर, समस्त सीडीपीओ, सेक्टर सुपरवाईजर, कार्यकर्ता सहित विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायगढ़ निगम क्षेत्र के सभी 48 वार्डो में कुपोषण दर 10 प्रतिशत से कम

कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास द्वारा बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप आज जिले के कुपोषण दर में अभूतपूर्ण कमी देखने को मिल रही है। जिले के रायगढ़ निगम क्षेत्र के सभी वार्डो की कुपोषण दर घटकर 10 प्रतिशत से नीचे आ गयी है। जिसमें से कुल 36 वार्ड ऐसे है जिसमे कुपोषण दर 5 प्रतिशत से भी कम है।

सेनेटरी नैपकिन उपयोगिता का करेंगे सर्वे, लिया जाएगा फीडबैक

कलेक्टर ङ्क्षसह ने माहवारी स्वच्छता के अन्तर्गत चलाए जा रहे पावना अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सेक्टर सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को प्रत्येक घरो में सेनेटरी पैड की उपयोगिता का सर्वे करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उनको सेनेटरी पेड की सुलभ उपलब्धता, मूल्य एवं गुणवत्ता के सबंध में भी फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल व कॉलेज में भी सेनेटरी की नियमित आपूर्ति के निर्देश दिए।

अशासकीय विद्यालयों द्वारा निर्धारित विद्यालयीन शुल्क, आरटीई प्रवेश के परीक्षण हेतु जिला स्तरीय टीम गठित

- छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस अधिनियम 2020 के तहत होगा परीक्षण

रायगढ़। छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस अधिनियम 2020 के तहत अशासकीय विद्यालयों के द्वारा सत्र 2022-23 में निर्धारित शुल्क का परीक्षण किया जाना है। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशानुसार जिला स्तर से इस हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण दल गठित किया गया है। दल के सदस्य निर्दिष्ट विकासखंड के अशासकीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर जांच करेंगे। विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा दिसंबर 2021 के पूर्व व फीस नियमन समिति के अनुमोदन से गत वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि वर्तमान सत्र 2022-23 में की गई है एवं जांच कर प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मान्यता खंड में दिनांक 18 अप्रैल 2022 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण दल को यह भी निर्देश दिया गया है कि निर्धारित शुल्क के साथ समिति यह भी देखेंगे कि शाला की मान्यता, विभागीय अनुमति, कब से कब तक प्राप्त है तथा इसका उल्लेख सूचना पटल पर अंकित है अथवा नहीं। साथ में दल यह भी निरीक्षण करेगा कि अशासकीय शाला में आरटीई के तहत कितने बच्चों का प्रवेश दिया गया और सभी बच्चे वर्तमान में शाला के अध्ययनरत है कि नहीं, निरीक्षण दल के द्वारा स्कूल में गणवेश एवं पुस्तक की सप्लाई कौन करता है इसकी भी जांच की जाएगी। जांच दल में सहायक संचालक के.के. स्वर्णकार, सुश्री टी.एक्का, दीप्ति अग्रवाल, एपीसी जे.के. राठौर, भुवनेश्वर पटेल, भूपेंद्र पटेल, आलोक स्वर्णकार, जिला छात्रवृति नोडल एस.के.कर्ण, जिला परी.अधिकारी डी.के. वर्मा, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी आर.एन.नवरंगे, अनिल साहू, मनीष सिन्हा, देवकांत द्विवेदी, मुकेश कुमार कुर्रे, उत्तरा सिदार, रवि सारथी, शेखर राजपूत, संजय पटेल तथा प्राचार्य राम भरोश पटेल, राजेंद्र मेहर, सी.एल.चौधरी, राजेश मिश्रा, एस.आर.बैरागी, एम.बारिक, एन.एस एक्का, पी.एस भगत, एल.एन. पटेल आदि शामिल किए गए हैं। कलेक्टर रायगढ़ के निर्देश के अनुपालन में 13 अप्रैल 2022 को सारंगढ़ विकासखण्ड के लिए गठित निरीक्षण दल ने अशोका पब्लिक स्कूल सारंगढ़, संत थॉमस हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम सारंगढ़, मोना मॉडर्न हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम, सारंगढ़ एवं सीपीएम स्कूल सारंगढ़ तथा बरमकेला विकासखण्ड की टीम ने अग्रोहा पब्लिक स्कूल, रूपधर दास पब्लिक स्कूल एवं सरस्वती विद्या मंदिर बरमकेला का जिला कार्यालय के निर्धारित बिंदुओं के आधार पर निरीक्षण किया गया।

पुलिस की घेराबंदी देख वाहन छोड़ भागे पशु तस्कर, 10 कृषक मवेशियों को कराया गया मुक्त

- तस्करों पर थाना लैलूंगा में पशुक्रूरता का अपराध दर्ज

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी लखन पटले, एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदशन पर लैलूंगा एवं चौकी रैरूमा पुलिस मवेशी तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 13/04/2022 के सुबह लैलूंगा पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम टेटकाआमा में घेराबंदी कर तस्करों पर कार्रवाई किया गया जिसमें पशु तस्कर मवेशियों से भरी पिकअप वाहन CG 10 AJ-4670 को जप्त कर मवेशियों को मुक्त कराया गया है।

जानकारी के अनुसार आज दिनांक 13.04.2022 के सुबह थाना प्रभारी लैलूंगा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में कृषक मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर क्रूरतापूर्वक भरकर झारखंड बूचड़खाने ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाने से उपनिरीक्षक बलदेव साय पैकरा के हमराह आरक्षक बृजेश लकड़ा, प्रमोद भगत, इलियास केरकेट्टा तत्काल टेटकाआमा वाहन की नाकेबंदी करने रवाना हुए सुबह करीब 11.00 बजे आरक्षकों द्वारा संदिग्ध पिकअप वाहन को दौड़ा कर रोकने का पीछा किया गया जिसका वाहन चालक चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। वाहन के अंदर ठूंस-ठूंस कर रखे गए 10 मवेशियों को मुक्त कराया गया जिनके चारा पानी की व्यवस्था के लिए मवेशियों को कोडासिया गौठान में रखने की व्यवस्था की गई है। पिकअप वाहन सीजी CG 10 AJ-4670 के चालक पर पशुक्रूरता का अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी में लिया गया है। इसके पूर्व लैलूंगा पुलिस द्वारा गौ सेवा आयोग के सदस्यों के साथ मिलकर मवेशियों को मारते पीटते दिगर राज्य ले जा रहे मवेशी तस्करों से करीब 300 मवेशियों को मुक्त कराया गया था। बार्डर के थाना लैलूंगा एवं चौकी रैरूमा पुलिस लगातार पशु तस्करों पर निगाह रखकर कार्यवाही किया जा रहा है।

खुद को तमनार क्षेत्र का डॉन बताने वाला आशुतोष बोहिदार अब सलाखों के पीछे

- जातिगत गाली गलौच की शिकायत पर एसडीओपी धरमजयगढ़ आरोपी को एट्रोसिटी एक्ट में भेजे जेल
- विशेष समुदाय के व्यक्ति से जातिगत गाली गलौच की तमनार पुलिस को मिली थी शिकायत
- आरोपी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लोगों से झगड़ा, मारपीट करना, कम्पनियों से रंगदारी की मिल रही थी शिकायतें

रायगढ़। दिनांक 13.04.2022 को धरमजयगढ़ एसडीओपी दीपक मिश्रा द्वारा तमनार क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी आशुतोष बोहिदार पिता झाडेश्वर बोहिदार उम्र 40 वर्ष निवासी पटनायक मोहल्ला तमनार को एट्रोसिटी एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी आशुतोष बोहिदार के विरूद्ध तमनार पुलिस को लगातार क्षेत्र के लोगों से जबरन झगड़ा-विवाद, मारपीट करने तथा कम्पनियों में जाकर अवैध रूप से रूपये मांगने की शिकायतें मिल रही थी। वर्ष 2021 में आरोपी आशुतोष बोहिदार पर तमनार पुलिस द्वारा गाली गलौच झगड़ा के संबंध में अपराध क्रमांक 274/21 धारा 294,506 IPC एवं प्रतिबंधात्मक धारा 107 116(3) CrPC के तहत कार्रवाई किया गया था जिसके कुछ समय शांत रहने के बाद आरोपी के विरुद्ध फिर से शिकायतें मिलना प्रारंभ हो गया था।

दिनांक 08.04.2022 को इंदिरानगर तमनार में निवासरत एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा थाना तमनार में आरोपी आशुतोष बोहिदार के विरूद्ध रास्ता रोककर जातिगत गाली गलौच मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि 2 अप्रैल दिन शनिवार को दोपहर करीब 3:00 बजे सायकल पर अपने साथ के साथ जा रहा था कि इंदिरानगर और राम मंदिर चौक के मध्य रास्ते में मवेशी बैठे होने के कारण रास्ते में आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तभी पीछे से एक सफेद कार में आशुतोष बोहिदार आते हुए हार्न देने लगा रास्ते में मावशी होने के कारण तुरंत साइड नहीं दे पाने पर आशुतोष बोहिदार "साले देहाती, साइकिल चलाना भी नहीं आता क्या" कहकर जातिगत गाली गलौच कर मारने की धमकी दिया जिससे अपमानित महसूस हुआ। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना तमनार में आरोपी पर अप.क्र. 138/2022 धारा 341, 294, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रारंभिक जांच में पीड़ित विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ जातिगत गाली गलौच करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट विस्तारित किया गया जिसके बाद डायरी एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा अपने हस्ते लेकर विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आरोपी की पतासाजी कर आरोपी आशुतोष बोहिदार को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट रायगढ़ के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया, जहां से आरोपी का जेल वारंट पर आरोपी को तमनार पुलिस द्वारा जिला जेल दाखिल कराया गया है।

आरोपी आशुतोष बोहिदार JPL तमनार में ठेकेदारी करता था , इस दौरान संस्थान में ठीक से ठेकेदारी नही करने पर संस्थान से ठेकेदारी नहीं मिली जिस पर आरोपी द्वारा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी डी0के0भार्गव को अपने फेसबुक पेज एवं मोबाइल के माध्यम से मारने पीटने की धमकी दिया था जिस पर थाना तमनार में अपराध दर्ज है।

वहीं कल दिनांक 12.04.2022 को आरोपी आशुतोष बोहिदार के पड़ोसी विकाश पटनायक द्वारा थाना तमनार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.04.2022 के रात्रि लगभग 08:21 बजे रात में आशुतोष बोहिदार व्हाटसअप कालिंग करके गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये किसी भी झूठे केश में फंसा देने की धमकी दे रहा था, रिपोर्ट पर धारा 507 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। खुद को तमनार क्षेत्र का डॉन बताने वाला आरोपी आशुतोष बोहिदार अब सलाखों के पीछे है।

अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोडऩे हेतु छ.ग.शासन द्वारा अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अधिकतम एक लाख ऋण दिया जा सकता है एवं अधिकतम 10 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए रायगढ़ जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।

इस योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को हो, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र सरपंच/पार्षद एवं आय प्रमाण-पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 40 हजार 500 रुपये एवं शहरी क्षेत्र का निवासी होने पर 51 हजार 500 रुपये से अधिक न हो, गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति एवं पूर्व में किसी भी शासकीय योजना में ऋण अनुदान लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कक्ष क्रमांक 94, रायगढ़ में आवेदन प्राप्त एवं जमा सकते है।

गौठानों के सुचारू संचालन हेतु विभागीय समन्वय महत्वपूर्ण-कलेक्टर भीम सिंह

- गौठानों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की कलेक्टर भीम सिंह ने की मैराथन समीक्षा
- गौठान पहुंच दिवस के निरीक्षण प्रतिवेदनों की हुयी डीब्रीफिंग
- 8 अप्रेल को जिले में एक साथ 534 गौठानों का हुआ था निरीक्षण

रायगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल गौठानों के संचालन को बेहतर बनाने की दृष्टि से कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर रायगढ़ जिले में 8 अप्रेल को गौठान पहुंच दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें जिले के सभी 534 गौठानों के निरीक्षण हेतु एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिनके द्वारा निरीक्षण किया गया। कलेक्टर भीम सिंह ने नगर निगम ऑडिटोरियम में इन सभी नोडल अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गौठानों के अलग अलग विभागों की गतिविधियां चल रही होती हैं इसलिए गौठानों के सुचारू संचालन के लिए विभागीय समन्वय बेहद महत्वपूर्ण व जरूरी है। अत: सभी अधिकारियों को नियमित रूप से गौठानों का निरीक्षण व मॉनिटरिंग करें। जिससे संचालन में कोई समस्या हो तो उसका त्वरित निराकरण हो।

उन्होंने अधिकारियों से एक-एक कर उनके द्वारा निरीक्षण किये गौठान के संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने वहां की आवश्यकताओं व समस्याओं के साथ गौठान के संचालन को बेहतर बनाने के लिए सुझावों पर चर्चा की। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों से गौठान में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट निर्माण व विक्रय, वर्मी पिट व शेड निर्माण, पशुओं के लिए हरे व सूखे चारे की व्यवस्था, मल्टी एक्टिविटी शेड के साथ बिजली पानी की उपलब्धता के बारे में बिंदुवार जानकारी ली। उन्होंने यहां कार्यरत समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों, उनके भुगतान व पंजियों के संधारण के बारे में भी जानकारी ली।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि गौठानों में नियमित रूप से गोबर खरीदी व वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होना चाहिए। कम्पोस्ट निर्माण के लिए तकनीक मार्गदर्शन देना कृषि विभाग के जिम्मेदारी है। जिससे अपेक्षित मानक के वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो। गौठान में कार्यरत समूह यदि सक्रिय न हो तो उसे बदला जाए। साथ ही गौठानों में बिजली व पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने पशुओं के नियमित रूप से आने तथा उनके आहार के रूप में हरे व सूखे चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गौठानों में संचालित मल्टी एक्टिविटी सेंटर के तहत चल रही गतिविधियों के संबंध में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने जहां पर उपकरणों की आवश्यकता है उसे प्रदान करने साथ ही समूहों को जरूरी ट्रेनिंग तथा मार्केटिंग की सुविधा भी प्रदान करने के लिए एनआरएलएम शाखा के अधिकारियों को निर्देशित किया। समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बेचने के साथ ही सी-मार्ट में भी विक्रय के लिए भेजा जाए। जहां निर्माण कार्य अधूरे हैं अथवा मरम्मत की आवश्यकता है उसे संबंधित एजेंसी से करवाने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिए। गौठान में किये जा रहे पशुपालन, मछली पालन व उद्यानिकी से जुड़ी गतिविधियों की भी समीक्षा बैठक में की गयी। उन्होंने आगे कहा कि एक माह बाद पुन: गौठान पहुंच दिवस का आयोजन किया जाएगा। तब तक सारी व्यवस्थाएं बेहतर कर ली जाए।

उन्होंने कहा कि गौठान शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना में से है यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है अत: इसके संचालन में सभी को एक टीम की भांति कार्य करना होगा जिससे इस योजना का अधिकतम लाभ ग्रामीणों को मिल सके। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने वन विभाग के गौठानों के संबंध में भी प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षा की उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को गौठानों में सभी बुनियादी संरचना व सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने नगरीय निकायों के अंतर्गत संचालित गौठानों की बारे में भी सभी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने इन गौठानों में नियमित रूप से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन व विक्रय के साथ मल्टी एक्टिविटी गतिविधियां संचालित करने के लिए कहा।

इस दौरान नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, एसडीएम धरमजयगढ़ संबित मिश्रा, सभी ज्वाइंट व डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ जनपद, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, शिक्षा तथा महिला बाल विकास सहित व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480